।। कार्यालय जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,मनरेगा पौड़ी।।

पत्रांक 4014 /मनरेगा लोकपाल पद हेतु/2017–18 दिनांक मार्च 16 2018

लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्ते

नियुक्ति

- राज्य सरकार लोकपाल की नियुक्ति चयन समिति के संस्तुति के आधार पर करेगी।
- चयन समिति का निर्माण राज्य के मुख्य सचिव, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित प्रतिष्ठित सभ्य समाज के व्यक्ति तथा राज्य सरकार में विभागीय सचिव सदस्य–संयोजक के रूप में एनआरईजीए का कार्य कर रहे हैं, के द्वारा किया जायेगा।

योग्यता

- व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्षो का लोक प्रशासन,विधि,शिक्षा,समाज सेवा अथवा प्रबन्ध के कार्यो का अनुभव होना चाहिए।
- आयु 68 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राजनीतिक पार्टी का कोई भी सदस्य योग्य नहीं होगा।
- वह शारीरिक रूप से सक्रिय होना चाहिए।
- नामरहित टिप्पणियों एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यकाल एवं पृथकत्व

- कार्यकाल 1 वर्ष का होगा।
- एक वर्ष हेतु कार्यकाल कार्य निष्पादन के आधार पर अथवा 68 वर्ष की आयु तक बढाया जा सकता है।
- पुनर्नियुकित नहीं होगी।

स्वत्व अधिकार

- लोकपाल राज्य तथा केन्द्र सरकार से स्वतंत्र होगा।

पारिश्रमिक

- प्रति सीटिंग रू0 1000/– अधिकतम 20,000.00 प्रतिमाह।

कार्यालय स्थान

- जनपद मुख्यालय विकास भवन पौड़ी।

कार्यालय सहयोग

- डी0आर0डी0ए0 तकनीकी तथा प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी।

मूल्यांकन

- चयन समिति प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

लोकपाल के अधिकार

- दोषी पार्टियों के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने का आदेश देना।
- सुधारात्मक, अनुशासनात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही सीधे ही सम्पन्न करना।
- किसी भी परिस्थिति के वृत्तांत में जो किसी भी शिकायत का निस्तारण हो,प्रारम्भिक कार्यवाही करना, शिकायतों का निस्तारण
- लोकपाल उपस्थिति हेतु एनआरईजीए प्राधिकारी को सूचना जारी करेगा।

- तथ्यों के एक वार प्रस्तुत होने पर उपयुक्त दिशा–निर्देश देकर शिकायत का निवारण किया जायेगा।
- निर्णय प्रमाणों एवं राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के एनआरईजीए अधिनियम के अनुपालन के आधार पर होने चाहिए।
- निर्णय की प्रति पार्टी को दी जायेगी।
- मित्यापूर्ण,द्वेषी एवं नाराजगी संबंधी शिकायत होने पर मूल्य अधिरोपित किया जा सकता है।
- मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव एवं एनआरईजीएस के प्रभारी सचिव को प्रेषित की जानी चाहिए।
- भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल विषयवस्तु को अपराधिक अभियोग लेने के लिए अग्रसारित करेगा।
- पार्टी होने की दशा में कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो सकते हैं।
- आवश्यक होने पर कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक मात्र तभी उपस्थित होंगे, जब कार्यवाही की जा रही हो।
- समस्त केस जो तथ्य अथवा नियम के जटिल प्रश्नों में शामिल नहीं होंगे, 15 दिनों के भीतर निवारण हो जाना चाहिए।
- अन्य केसों का 45 दिनो के भीतर निवारण किया जा सकता है।

आग्रह/अनुरोध/निवेदन

- लोकपाल के निर्णय के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण आवेदन/अपील/पुनर्विलोकन आवेदन संधार्य नहीं होगा।
- लोकपाल का निर्णय अन्तिम होगा अर्थात इसके विरूद्ध मात्र माननीय उच्च न्यायालय/मान्नीय उच्चतम न्यायालय में समादेश याचिका योजित की जा सकती है। अन्य विधिक प्रतिकर न तो संज्ञेय और न ही संधार्य होगा।

आवेदन पत्र दिनांक 26–03–2018 तक अपरान्ह 12.00 बजे तक मनरेगा प्रकोष्ठ विकास भवन पौड़ी में 10 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर स्वच्छ रूप से मय संलग्नकों के साथ प्रेषित किये जांय। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र विकास भवन पौड़ी मनरेगा प्रकोष्ठ से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पौड़ी को उक्तानुसार लोकपाल के पद हेतु शर्तें एवं आवेदन पत्र बेबसाइड में अपलोड करने हेतु ।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

लोकपाल के पैनल में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम

2. पिता/पति का नाम

3. पत्राचार का पता

4. दूरभाष संख्या/ई–मेल

5. 01–01–2018 को आयु

6. शैक्षिक योग्यता
   प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें।

7. अनुभव
   (20 वर्षो से कम अनुभव वाले व्यक्ति आवेदन न करें)

क0सं0	विषय	कार्य अवधि	प्रमाण पत्र
1.	लोक प्रशासन कार्य		
2.	विधि कार्य		
3.	शिक्षा संबंधी कार्य		
4.	समाज सेवा संबंधी कार्य		
5.	प्रबन्धन संबंधी कार्य		
7.	अन्य यदि कोई हो		
	कुल अनुभव		

घोषणा पत्रः–

मैं ईश्वर की शपथ लेकर सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिया गया विवरण मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमे कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं हूँ और न ही मैने किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण की है। मैं शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्रिय हूँ। मुझे किसी न्यायालय द्वारा कदाचार के लिए न तो दोष सिद्ध किया गया है और न ही मेरा कोई प्रकरण किसी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि भविष्य में मेरी अर्हता के विरूद्ध कोई मामला प्रकाश मे आता है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान–

दिनांक–

हस्ताक्षर

नाम